



IISER PUNE

भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुणे
INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH PUNE
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्थान)
(An Autonomous Institution of the Ministry of Education, Govt. of India)

IISER PUNE campus, Dr. Homi Bhaba Road, Pune-411 008.
आई.आई.एस.ई.आर. पुणे परिसर, डॉ. होमी भाबा रोड, पुणे-411 008

No: 54(2) /IISER/Pune/2023-24/ 76

Dated 26-06-2023

कोटेशन आमंत्रण सूचना

NOTICE INVITING QUOTATION

निदेशक, आईआईएसईआर पुणे की ओर से नीचे उल्लिखित कार्य के लिए पंजीकृत एजेंसियों के अनुमोदित और पात्र ठेकेदारों से, जो खंड में परिभाषित न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुसार पात्र पाए गए हैं, दिनांक 03-07-2023 को अपराह्न 3.00 बजे तक मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। नीचे उल्लिखित कार्य के लिए एनआईक्यू के 1 और 2:

Sealed quotations are hereby invited by the undersigned on behalf of the Director, IISER Pune for the work mentioned below up to **3.00 PM on 03-07-2023** from approved and eligible contractors from registered agencies, found eligible as per the minimum requirements defined in clause 1 & 2 of NIQ for the work mentioned below:

कार्य का नाम: गेस्ट हाउस, आईआईएसईआर पुणे में यात्री लिफ्ट 2 नग (मेक-जॉनसन लिफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड) के लिए वार्षिक व्यापक रखरखाव अनुबंध, वर्ष 2023-24।

NAME OF WORK: Annual Comprehensive maintenance contract for passenger lift 2 nos (Make- Johnson Lifts Private Limited) at Guest House, IISER Pune, Year 2023-24.

खण्ड 1.

निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले बोलीदाता आवेदन करने के पात्र होंगे।

ए) आवेदक को कंपोजिट वर्क्स श्रेणी में (किसी एक) सीपीडब्ल्यूडी, राज्य पीडब्ल्यूडी, रेलवे या एमईएस विभाग के साथ पंजीकृत कंपोजिट श्रेणी ठेकेदार होना चाहिए। समग्र कार्य ठेकेदार कार्यों के निष्पादन के लिए अन्य एजेंसी को संबद्ध कर सकता है या आवेदक को लिफ्टों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग, रखरखाव के क्षेत्र में अधिकृत सेवा डीलर / ओईएम होना चाहिए और पांच साल का समान कार्य अनुभव होना चाहिए।

प्राधिकरण/पंजीकरण प्रमाणपत्र निविदा की अंतिम तिथि तक वैध रहेगा। एजेंसी कोटेशन के साथ पूर्ण किए गए समान प्रकार के कार्यों के लिए ग्राहक विभाग से कार्य आदेश की प्रति, पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी।

समान कार्य का अर्थ है: लिफ्टों का निवारक और ब्रेकडाउन रखरखाव।

खण्ड 2.

2.1 कंपोजिट वर्क्स श्रेणी में सीपीडब्ल्यूडी, राज्य पीडब्ल्यूडी, रेलवे या एमईएस विभागों में से किसी एक का नामांकन/पंजीकरण प्रमाण पत्र या अधिकृत सेवा प्रदाता/ओईएम प्रमाण पत्र। बोलीदाता का पंजीकरण प्रमाणपत्र निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए।

2.2 एजेंसी के पास वैध जीएसटी/पैन/टैन/ईएसआईसी/पीएफ नंबर/प्रमाणपत्र होना चाहिए।

2.3 ओईएम से प्राधिकरण प्रमाणपत्र।

Clause 1.

The bidders who fulfill the following requirements shall be eligible to apply.

- A) The applicant should be registered Composite category contractor registered with **(Any one)** CPWD, State PWD, Railways or MES departments in composite Works category. Composite work contractor can associate other agency for execution of works **OR** Applicant should be Authorize service dealer / OEM in field of supply, installation, testing, commissioning, maintenance of Lifts and having five years' similar work experience.

Authorization/Registration certificate shall be valid till last date of tender. Agency shall submit work order Copy, Completion certificate from Client department for similar types of works completed along with quotations.

Similar work means: Preventive and breakdown maintenance of Lifts.

Clause 2.

2.1 Enlistment/Registration certificate of (Any one) CPWD, State PWD, Railways or MES departments in composite Works category OR Authorized Service provider /OEM certificate. The bidder registration certificate should be valid till the last date of receipt of tender.

2.2 The agency shall have valid GST/PAN/TAN/ESIC/PF numbers/certificates.

नियम और शर्तें:

१. कार्य को पूरा करने के लिए अनुमत समय अनुसूची 'सी' में परिभाषित शुरुआत की तारीख से 12 (बारह) महीने या साइट को सौंपने की पहली तारीख से, जो भी बाद में हो, चरणबद्ध तरीके से होगा। , यदि कोई हो, तो निविदा में दर्शाया गया है।
२. कोटेशन के बाद पीछे हटने का कार्य ऐसी एजेंसियों को आईआईएसईआर पुणे के भविष्य के कोटेशन में भाग लेने से रोक देगा। बोली लगाने वाला अपने प्रश्नों को Maintenance@iiserpune.ac.in पर ई-मेल कर सकता है या कोटेशन जमा करने की तारीख से एक दिन पहले सभी कार्य दिवसों पर हार्ड कॉपी में IISER पुणे कार्यालय में जमा कर सकता है।
३. कोटेशन जमा करने की तारीख से पहले सभी कार्य दिवसों पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच मुख्य भवन में आईआईएसईआर पुणे इंजीनियरिंग कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदक IISER PUNE वेबसाइट www.iiserpune.ac.in से कोटेशन दस्तावेज़ डाउनलोड करके कोट कर सकते हैं।
४. सभी एजेंसियों को अपना कोटेशन एक सीलबंद लिफाफे में हार्ड कॉपी में जमा करना होगा, जिसमें दो अलग-अलग लिफाफे हों, एक लिफाफा जिसमें क्लॉज 1 और 2 में उल्लिखित योग्यता दस्तावेज़ हों

और दूसरे लिफाफे में उद्धृत दरों के साथ हस्ताक्षर, स्टॉप, एनआईक्यू दस्तावेज हों, इस कार्यालय में उपयुक्त द्वारा जमा करें। मतलब जमा करने की अंतिम तिथि और समय पर और उससे पहले। ऊपर निर्दिष्ट तिथि और समय के बाद प्राप्त कोटेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी देरी, डाक विलम्ब आदि पर विचार नहीं किया जाएगा। एजेंसी को बीओक्यू में सभी वस्तुओं के लिए उद्धरण देना चाहिए। बोली मूल बोली दस्तावेज़ (जैसा कि आईआईएसईआर, पुणे द्वारा जारी किया गया है) में काम का नाम लिखकर जमा की जाएगी। शब्दों में उद्धृत दरों को एल1 बोलीदाता के निर्णय के लिए अंतिम माना जाएगा। . कोटेशन उसी दिन (03-07-2023) अपराह्न 3.30 बजे एजेंसी या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, यदि कोई हो, की उपस्थिति में खोले जाएंगे। कृपया उल्लेख करें - लिफाफे- 1 पर तकनीकी/योग्यता बोली और लिफाफे पर वित्तीय बोली-2।

५. तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वाले की वाणिज्यिक बोली/वित्तीय बोली का लिफाफा तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वाले को सूचना के अनुसार खोला जाएगा। एजेंसी का प्रस्ताव व्यावसायिक रूप से स्पष्ट होना चाहिए जिसमें एजेंसी द्वारा इस कोटेशन के सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार किया जाना शामिल है। आईआईएसईआर पुणे बिना कोई कारण बताए कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। किसी भी शर्त के साथ प्रस्तुत किए गए कोटेशन को 'सशर्त कोटेशन' माना जाएगा और आईआईएसईआर पुणे द्वारा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
६. उद्धृत दरों में सभी सामग्रियों की लागत, श्रम लागत, जीएसटी, सभी कर, चुंगी, शुल्क, नमूने की लागत और प्रयोगशालाओं में सामग्रियों के परीक्षण की फीस, रॉयल्टी आदि शामिल होनी चाहिए। अलग से कुछ भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
७. सभी अनुमोदित निर्माण इसके साथ संलग्न सूची के अनुसार और सीपीडब्ल्यूडी और विनिर्माण विनिर्देशों के अनुसार होंगे। (ओईएम) एजेंसी को काम शुरू करने से पहले तकनीकी डेटा रखना चाहिए और आईआईएसईआर पुणे की विभिन्न सामग्रियों के निर्माण पर पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।
८. सफल एजेंसी कार्य पूरा होने के मद्देनजर कार्य के लिए सभी टूल्स और टैकल आदि की अपनी व्यवस्था स्वयं करेगी। एजेंसी को एक स्रोत पर बिजली निःशुल्क प्रदान की जाएगी, एजेंसी को स्रोत से कार्य स्थान तक बिजली के सुरक्षित दोहन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
९. आईआईएसईआर पुणे द्वारा कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। उद्धृत दरें जीएसटी, टीडीएस और अन्य लागू करों सहित होनी चाहिए और कार्य के बिलों से लागू उपकरण की कटौती की जाएगी।
१०. लागू श्रम लाइसेंस, ईपीएफओ, ईएसआईसी और बीसीओडब्ल्यू कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण, जो भी लागू हो, ठेकेदार द्वारा प्रभारी अभियंता को प्रस्तुत किए जाने तक काम के लिए कोई चालू खाता बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रत्येक तिमाही में संतोषजनक कार्य पूर्ण होने पर ही भुगतान त्रैमासिक आधार पर किया जायेगा।

Terms and Conditions:

1. The time allowed for carrying out the work will be **12 (Twelve) months** from the date of start as defined in schedule 'C' or from the first date of handing over of the site, whichever is later, in accordance with the phasing, if any, indicated in the tender.
2. The act of backing-out after quotation will debar such agencies for participating in future quotations of IISER PUNE. Bidder may e-mail queries on maintenance@iiserpune.ac.in or submit to IISER PUNE office in hard copy on all working days before a day of submission date of quotation.
3. Quotation can be obtained from IISER PUNE Engineering office at Main Building between 10 AM to 4 PM on all working days before date of submission. Applicant may quote by downloading quotation document from IISER PUNE website www.iiserpune.ac.in
4. All agencies need to submit their quotation in hard copy in a sealed envelope containing two separate envelopes, one envelope containing qualification documents mention in Clause 1 & 2 and second envelope containing sign, Stamp, NIQ documents with quoted rates to this office by suitable means on and before **last date and time of submission**. Quotation received after the date & time specified above shall not be accepted. Any delays, postal delay etc. will not be entertained. Agency should quote for all the items in the in the BOQ. The bid shall be submitted in the original Bid document (as issued by the IISER, Pune) super scribing the name of work. Rates quoted in the words shall be treated as final for deciding L1 bidder. Quotations will be opened on the same day **(03-07-2023) at 3.30 PM** in the presence of agency or their authorized representatives, if any. Please mentioned – **Technical /Qualification bid** on envelope-1 and **Financial Bid** on envelope - 2.
5. Commercial bid/Financial bid envelop of technically qualified bidder shall be opened accordingly intimation to technically qualified bidder. The offer of the agency should be commercially clear including acceptance of all terms and conditions of this Quotation by the agency. IISER Pune reserves the right to accept or reject the quotation/s without assigning any reasons. Quotations submitted with any conditions shall be treated as 'Conditional Quotation' and shall be summarily be rejected by IISER PUNE.

6. Quoted rates should be inclusive of cost of all the materials, labour cost, GST, all taxes, octroi, duties, cost of sample and fees towards testing of materials in labs, royalties etc. complete. Nothing extra shall be paid separately.
7. All approved makes shall be as per list attached with this and as per CPWD and manufactures specifications. (OEM) Agency should put-up technical data and obtain prior approval on makes of various materials of IISER PUNE before taking-up work.
8. The successful agency shall make his own arrangement for all Tools & tackles for work etc complete in view of completion of work. Electricity shall be provided free of cost to agency at one source, agency should make own arrangement to safely tap of power from source to work location.
9. No advance payment shall be made by IISER Pune. Quoted rates should be including GST, TDS and other applicable taxes and cess will be deducted from the bills of the work as applicable.
10. No running account bill shall be paid for the work till the applicable labor licenses, registration with EPFO, ESIC and BCOW welfare board, whatever applicable is submitted by the contractor to the Engineer-in-charge. Payment shall be done after satisfactory completion of work in each quarter on quarterly basis only.
11. Specification for the work to be carried out as per BOQ, latest CPWD specification, IS specifications, manufactured specification & as per instruction of IISER PUNE whenever specification CPWD/ IS specification are not available.
12. The contractor shall ensure that minimum wages should be paid to the labours and employees in accordance with labour laws.
13. L1 Agency to submit actual measurements and abstract sheet to IISER PUNE within 30 days from completion of work.
14. The Eligibility cum Technical bid shall be opened first at **3:30 pm on 03-07-2023**. The Financial bid shall be opened of those bidders who qualify in the eligibility of Technical bid. The time and date of opening of financial bid of the eligible bidder shall be communicated at a later date. The institute shall not accept any loss or delay in transit as an excuse for late tender in

Superintending Engineer, IISER Pune

Sign & Stamp of Agency

अनुलग्नक-ए

काम की गुंजाइश

व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (CAMC) का दायरा: -

लिफ्ट निर्माता: जॉनसन लिफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड।

१. दोष का निदान करें और उचित समय में 4 घंटे के भीतर पाए गए दोषों को ठीक करें
२. उपकरण के दोषपूर्ण भागों आदि की मरम्मत/बदलें।
३. ओईएम रखरखाव मैनुअल की अनुसूची के अनुसार निवारक रखरखाव (महीने में कम से कम एक बार) जारी रखें।
४. आवश्यकता पड़ने पर सभी ब्रेक डाउन कॉलों में भाग लें।
५. सिस्टम का रखरखाव, रिकॉर्डिंग, आवश्यक रीडिंग और किए गए कार्यों की लॉग बुक का रखरखाव।
६. दोष का निदान करें और उचित समय में पाए गए दोषों को 4 घंटे के भीतर ठीक करें।
७. उपकरण के दोषपूर्ण हिस्सों आदि की मरम्मत/बदलें।
८. शेड्यूल के अनुसार निवारक रखरखाव (महीने में कम से कम एक बार) जारी रखें।
९. आवश्यकता पड़ने पर सभी ब्रेक डाउन कॉलों में भाग लें।
१०. सिस्टम का रखरखाव, रिकॉर्डिंग, आवश्यक रीडिंग और किए गए कार्यों की लॉग बुक का रखरखाव।
११. सर्विसिंग, रखरखाव और प्रतिस्थापन कार्यकारी/सहायक की जानकारी में किया जाएगा। इंजीनियर (ई), आईआईएसईआर पुणे।

Annexure –A

Scope of Work

Scope of Comprehensive Annual Maintenance Contract (CAMC): -

Lift Makes: Johnson Lifts Private Limited.

1. Diagnose the fault and rectify the defects detected in reasonable time within 4 hours
2. Repair /replace the faulty parts etc. of the equipment's.
3. Carry on the preventive maintenance (at least once in a month) as per schedule of OEM maintenance manual.
4. Attend all break down calls as and when required.
5. Upkeep the system, recording, required reading and maintenance of log Book of works Carried out.
6. Diagnose the fault and rectify the defects detected in reasonable time within 4 hours.
7. Repair /replace the faulty parts etc. of the equipment's.
8. Carry on the preventive maintenance (at least once in a month) as per schedule.
9. Attend all break down calls as and when required.
10. Upkeep the system, recording, required reading and maintenance of log Book of works carried out.
11. Servicing, Maintenance and Replacement shall be done with the knowledge of Executive/Astt. Engineer (E), IISER Pune.

१. मरम्मत और ब्रेकडाउन सेवा: मरम्मत कवरेज

लिफ्ट के लिए कानूनी नियमों के अनुसार सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एजेंसी निम्नलिखित हिस्सों की मरम्मत करती है या उन्हें बदल देती है जो टूट-फूट के कारण अनुपयोगी हो गए हैं। वीएफ ड्राइव यूनिट, परमाणु बचाव उपकरण, कार और लैंडिंग डोर शू लाइनर, संपर्क, स्विच, डोर ऑपरेटर मोटर, ड्राइव बेल्ट, कपलर यूनिट, डोर सेफ्टी सेंसर, आपातकालीन अलार्म यूनिट, डोर ड्राइव यूनिट, कार और लैंडिंग कॉल पंजीकरण बटन और सभी इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी एजेंसी समय-समय पर ऊपर सूचीबद्ध कवर किए गए घटकों की जांच, चिकनाई, समायोजन और आवश्यकतानुसार मरम्मत या प्रतिस्थापन करती है। इसके अलावा लिफ्ट प्रतिष्ठानों के नियमित निरीक्षण और निवारक रखरखाव के दौरान कार में खराब आपातकालीन लैंप को बदल दिया जाएगा। नियमित अंतराल पर एजेंसी निर्माता के निर्देशों के अनुसार लिफ्ट इंस्टॉलेशन की ड्राइव यूनिट में तेल बदलती है और पुराने तेल का उचित निपटान करती है। बदले गए घटक का स्वामित्व: प्रस्तावित एएमसी कीमत दोषपूर्ण सामग्री को एजेंसी को वापस लौटाने पर विचार कर रही है।

निम्नलिखित घटकों की रिफिनिशिंग, मरम्मत या प्रतिस्थापन इस अनुबंध के दायरे से बाहर हैं:

I. लिफ्ट कार परिक्षेत्र

द्वितीय. लिफ्ट कार और लैंडिंग दरवाजा पैनल/गेट

तृतीय. पंखा एवं लाइट फिक्स्चर

चतुर्थ. एम/सी रूम में मुख्य स्विच तक आने वाली विद्युत वायरिंग

वी. एम/सी रूम में मुख्य स्विच

VI. दर्पण और हाथ रेलिंग सहित सजावटी सामान

२. एजेंसी द्वारा सेवाओं का प्रावधान

एजेंसी अनुबंध और इन सामान्य नियमों और शर्तों में सहमति के अनुसार रखरखाव सेवाएं निष्पादित करेगी। उक्त सेवाओं को निष्पादित करने में, एजेंसी उपकरण को उचित परिचालन स्थिति में बनाए रखने के लिए सभी उचित कदम उठाएगी। एजेंसी रखरखाव सेवाएं निष्पादित करने के लिए प्रशिक्षित और उचित रूप से पर्यवेक्षित कर्मियों का उपयोग करेगी। रखरखाव सेवाएं सामान्य कार्य घंटों के दौरान संचालित की जाएंगी। एजेंसी अपने सामान्य कामकाजी घंटों के दौरान, लिफ्ट की उम्र, प्रकृति और स्थिति को ध्यान में रखते हुए, नियमित अंतराल पर और जब भी कंपनी आवश्यक समझती है, लिफ्ट के हिस्सों का व्यवस्थित रूप से निरीक्षण, समायोजन और चिकनाई करने के लिए एक तकनीशियन भेजेगी। लिफ्ट को संतोषजनक कार्यशील स्थिति में बनाए रखने के लिए आवश्यक सीमा तक। ग्राहक द्वारा खराबी या विफलता की सूचना मिलने पर, एजेंसी उपकरण की संतोषजनक कामकाजी स्थिति को बहाल करने के लिए आवश्यक मरम्मत करने के लिए यथाशीघ्र एक तकनीशियन को भेजेगी। एजेंसी सभी सुरक्षा उपकरणों की जांच के लिए अपने मानकों के अनुसार पारंपरिक वार्षिक सुरक्षा परीक्षण करेगी। एजेंसी को कोई अन्य परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होगी। एजेंसी को या तो नए अनुलग्नक स्थापित करने की आवश्यकता होगी और न ही एलिवेटर में किसी भिन्न डिज़ाइन के हिस्सों के साथ प्रतिस्थापन करने की आवश्यकता होगी चाहे बीमा कंपनियों, या सरकारी या गैर-सरकारी अधिकारियों द्वारा अनुशंसित या निर्देशित हो या नहीं। एजेंसी नियंत्रण कक्ष को बंद रखने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

जब तक रखरखाव की प्रक्रिया चल रही है, अनुबंध के तहत उपकरण चालू नहीं रहेंगे। इस अवधि के दौरान किसी को भी उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

३. आईआईएसईआर पुणे द्वारा प्रावधान

आईआईएसईआर पुणे उपकरण के किसी भी असंतोषजनक संचालन या प्रदर्शन, उपकरण से जुड़ी किसी भी दुर्घटना या घटना या उपकरण के उपयोग में किसी भी बदलाव के बारे में एजेंसी को तुरंत सूचित करेगा। आईआईएसईआर पुणे भवन संरचना में सभी तारों और उपकरणों के कामकाज के लिए आवश्यक बिजली आपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा। आईआईएसईआर पुणे व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य नियमों सहित सभी लागू विधायी आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा। आईआईएसईआर पुणे सिल्स, मशीन रूम और गट्टो को साफ रखेगा। आईआईएसईआर पुणे लिफ्ट का उपयोग करने वाले सभी व्यक्तियों को एजेंसी के उचित निर्देशों के अनुसार हर समय इसका उपयोग करने का निर्देश देगा। आईआईएसईआर पुणे लिफ्ट के दुरुपयोग या बर्बरता को रोकना सुनिश्चित करेगा।

आईआईएसईआर पुणे यह सुनिश्चित करेगा कि फंसे हुए यात्रियों के आपातकालीन बचाव के लिए इमारत में दो प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध रहेंगे। आईआईएसईआर पुणे किसी खराबी की सूचना एजेंसी को देने के लिए नाम और पदनाम से दो व्यक्तियों को नामित करेगा, यह स्पष्ट समझ के साथ कि केवल ऐसे व्यक्तियों के निर्देशों पर ही एजेंसी द्वारा ध्यान दिया जाएगा।

आईआईएसईआर पुणे मशीन रूम को ताला और चाबी के नीचे रखेगा। आईआईएसईआर पुणे इस अनुबंध के अस्तित्व के दौरान किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वह अपना हो या किसी तीसरे पक्ष को, लिफ्ट के किसी भी घटक में हस्तक्षेप, मरम्मत या सुधार करने की अनुमति नहीं देगा, इस स्पष्ट समझ के साथ कि इस खंड के किसी भी उल्लंघन से एजेंसी को राहत मिलेगी। इस अनुबंध के अंतर्गत सभी अतिरिक्त दायित्व।

४. एजेंसी के हिस्से और घटक

ओईएम द्वारा लगाए गए सभी हिस्से और घटक मूल हिस्से या घटक होंगे। यदि मूल हिस्से या घटक उपलब्ध नहीं हैं, तो लगाए गए हिस्से या घटक समान गुणवत्ता और कार्यात्मक होंगे और OEM का अनुमोदन आवश्यक है। इसके द्वारा विशेष रूप से सहमति व्यक्त की गई है कि इस अनुबंध के तहत दोषपूर्ण विद्युत प्रणाली, बिजली के उतार-चढ़ाव, तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप लिफ्ट के सभी हिस्सों को होने वाली किसी भी क्षति को बदलने या मरम्मत करने के लिए ओईएम किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा। , आग, पानी का रिसाव, बाढ़ आदि। ऐसी स्थिति में सभी मरम्मत और प्रतिस्थापन, जो आवश्यक हो सकते हैं, ग्राहक की लागत और व्यय पर किए जाएंगे। यह अनुशंसा की जाती है कि ग्राहक को ऐसे कारणों से होने वाली क्षति के लिए उपकरण की सुरक्षा के लिए बीमा या समान कंपनियों से पर्याप्त सुरक्षा लेनी चाहिए। ऐसी स्थिति में मरम्मत या प्रतिस्थापन की लागत बिना किसी शर्त या सीमा के ओईएम को प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए। जहां सामग्री, घटक भाग या असेंबली अप्रचलन के कारण उपलब्ध नहीं हैं या यदि उन्हें मूल आपूर्तिकर्ता द्वारा स्थायी रूप से उत्पादन से बाहर कर दिया गया है, तो वैकल्पिक प्रतिस्थापन सामग्री, घटक भाग या असेंबली (जैसा भी मामला हो) की आपूर्ति और उपयोग किया जाएगा। ग्राहक की लागत को मात दें। यदि ओईएम खुद को इस समझौते के प्रयोजन के लिए किसी भी सामग्री या भागों की आपूर्ति करने में असमर्थ मानते हैं, तो यह समझौता एजेंसी के अर्जित अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और ऐसी समाप्ति के लिए एजेंसी के प्रति किसी भी दायित्व के बिना तुरंत समाप्त हो जाएगा।

५. दायित्व की सीमा

इस अनुबंध में किसी भी अन्य प्रावधान या क्षतिपूर्ति के बावजूद, किसी भी स्थिति में एजेंसी लाभ, उपयोग, अनुबंध, व्यवसाय, ग्राहकों, सद्भावना, दूसरों की संविदात्मक देनदारियों या किसी अप्रत्यक्ष या परिणामी हानि के किसी भी नुकसान के लिए दूसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। या क्षति, जो अनुबंध के संबंध

में दूसरे पक्ष को हो सकती है। इस अनुबंध के तहत या इसके संबंध में एजेंसी की अधिकतम कुल देनदारी किसी भी स्थिति में प्रति उपकरण एक वर्ष के अनुबंध मूल्य के बराबर राशि से अधिक नहीं होगी।

६. अनुबंध की समाप्ति

अनुबंध अनुबंध अवधि अवधि के लिए लागू रहेगा, जब तक कि किसी भी पक्ष द्वारा समाप्ति की वांछित तारीख से 30 दिन पहले नोटिस जारी करके लिखित रूप से रद्द नहीं किया जाता है। कोई भी पक्ष, दूसरे पक्ष को लिखित सूचना देकर, उपरोक्त समय की आवश्यकताओं को पूरा किए बिना, अनुबंध समाप्त कर सकता है। उस स्थिति में जब दूसरा पक्ष अनिवार्य रूप से या स्वेच्छा से परिसमापन में जाता है, या उसकी पूरी संपत्ति या उसके किसी हिस्से के संबंध में एक रिसीवर, प्रशासक या प्रशासनिक रिसीवर नियुक्त किया जाता है, या यदि दूसरा पक्ष अनुबंध का महत्वपूर्ण उल्लंघन करता है और कथित उल्लंघन का विवरण देने वाली लिखित सूचना प्राप्त होने के तीस (30) दिनों के भीतर उक्त उल्लंघन का निवारण नहीं किया गया है। इसके अलावा, आईआईएसईआर पुणे को उस स्थिति में अनुबंध समाप्त करने का अधिकार है, जब उपकरण के उपयोग का मुख्य उद्देश्य अनुबंध अवधि के दौरान आईआईएसईआर पुणे की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना किसी तीसरे पक्ष द्वारा बदल दिया गया हो या उस भवन का स्वामित्व जहां उपकरण लगाया गया हो। स्थित है बदल गया है।

७. भुगतान शर्तें:

१. अग्रिम भुगतान बेहतर नहीं है, इसलिए एजेंसियों को इससे बचना चाहिए। कार्य संतोषजनक पूर्ण होने पर भुगतान त्रैमासिक/मासिक किया जाएगा।
२. कर, यदि कोई हो, प्रचलित दरों पर बिल/कर चालान से काटा जाएगा।
३. यह एक व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध है जिसमें सभी छोटे और बड़े हिस्से, उपभोग्य वस्तुएं आदि शामिल हैं।
४. बोली लगाने वाले को बोली लगाने से पहले सिस्टम का निरीक्षण करना होगा। बोली लगाने वाले को पूरा मान लिया जाएगा स्थापना का ज्ञान, चाहे वह इसका निरीक्षण करे या नहीं।
५. संस्थान किसी भी या सभी निविदाओं को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने या किसी भी स्तर पर, यहां तक कि अनुबंध अवधि के दौरान, बिना कोई कारण बताए निविदा शर्तों को बदलने या पूरे काम को दो या अधिक के बीच वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ठेकेदार
६. ठेकेदार को इस अनुबंध के नियमों और शर्तों में निर्दिष्ट कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
७. मरम्मत कार्य संस्थान के परिसर के भीतर किया जाना है। प्रमुख मरम्मत की स्थिति में, यदि किसी भी मशीन को संस्थान परिसर से बाहर ले जाना आवश्यक है, तो उसे गेट पास जैसी संस्थान की लिखित अनुमति के साथ ही बाहर ले जाने की अनुमति दी जाएगी। श्रम और परिवहन के लिए कोई अलग से शुल्क नहीं लिया जाएगा इस उद्देश्य के लिए संस्थान द्वारा भुगतान किया गया।
८. कर नियमानुसार स्रोत पर काटा जाएगा।
९. निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे निविदा दस्तावेज़ में दिए गए निर्देशों, नियमों और शर्तों और इसके साथ संलग्न सामान्य नियमों और शर्तों को पढ़ लें।
१०. केवल ओईएम या उनके अधिकृत सेवा डीलर/वितरक जिनके पास वैध टिन और पैन नंबर हैं। निविदा बोली में भाग लेने के पात्र हैं।

११. सशर्त निविदाएं सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाएंगी।
१२. ठेकेदार अपने श्रमिकों के व्यवहार और आचरण के लिए जिम्मेदार होगा। संदिग्ध निष्ठा वाले या खराब रिकॉर्ड वाले श्रमिकों को ठेकेदार द्वारा काम पर नहीं रखा जाएगा। इस संबंध में, यह भी कहा जाना चाहिए कि एएमसी कार्य के निष्पादन के लिए फर्म द्वारा तैनात किए जाने वाले मैकेनिकों/मजदूरों के पूर्ववृत्त को स्थानीय पुलिस से सत्यापित किया जा सकता है।
१३. संस्थान मशीनों की मरम्मत/प्रतिस्थापन के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की खरीद का स्रोत और प्रमाण मांगने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि ठेकेदार द्वारा लाई गई सभी घटिया सामग्री को अस्वीकार कर दिया जाएगा और उसे अपनी लागत पर तुरंत साइट से हटाना होगा और यह कार्यालय उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

८. कार्य दिशानिर्देश

१. सीएमसी का कार्य आईआईएसईआर पुणे प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जाएगा
२. कार्य प्रभारी अभियंता की पूर्ण संतुष्टि के अनुरूप निष्पादित किया जाना चाहिए।
३. एजेंसी कार्य के संबंध में सभी वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करेगी।
४. एजेंसी साइट पर काम के लिए अपने द्वारा तैनात कर्मियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगी। किसी भी दुर्घटना/घटना के मामले में जिसमें एजेंसी द्वारा तैनात कर्मियों को कोई चोट या जीवन की हानि हो सकती है, आईआईएसईआर किसी भी तरह से ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और किसी भी पक्ष को किसी भी प्रकार के मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। प्रतिनियुक्त कर्मियों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होगी।
५. सभी ब्रेकडाउन कॉलों को निःशुल्क अटेंड किया जाएगा।
६. एजेंसी एक वर्ष में न्यूनतम बारह (12) निःशुल्क सेवाएँ प्रदान करेगी।
७. एजेंसी ब्रेकडाउन कॉल प्राप्त होने पर तुरंत नियमित सेवा कॉल के बीच असीमित ब्रेकडाउन कॉल को निःशुल्क अटेंड करेगी।
८. एजेंसी को कामकाजी घंटों के दौरान सूचना के चार घंटे के भीतर और कार्यालय के कामकाजी घंटों के बाद सूचित होने पर अगले दिन की शुरुआत तक किसी भी ब्रेकडाउन कॉल को अटेंड करना होगा, अन्यथा जुर्माना @ रु. 1000/- प्रति दिन का डाउन टाइम लिया जाएगा। यही बात किसी बड़ी खराबी या ओवरहालिंग के मामले में भी लागू होती है, अगर इसे पांच दिनों के भीतर ठीक नहीं किया जाता है और चालू नहीं किया जाता है। एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि सिस्टम को समय पर काम करने के लिए सभी आवश्यक स्पेयर या प्रतिस्थापन हिस्से समय पर साइट पर पहुंचें। अधिकतम जुर्माना अनुबंध मूल्य के 10% तक सीमित है। इंजीनियरिंग प्रभारी को सभी आंतरिक और बाह्य कारकों पर विचार करते हुए इस खंड को लागू करने का पूरा अधिकार होगा।
९. अनुबंध के अंत में यात्री लिफ्ट सौंपते समय ये बिल्कुल काम करने की स्थिति में होनी चाहिए। पाए गए किसी भी दोष को एजेंसी द्वारा ठीक किया जाना चाहिए अन्यथा मरम्मत की शुद्ध लागत एजेंसी के खाते से ली जाएगी। अनुबंध के दौरान, यदि दोषपूर्ण मरम्मत या उसके किसी हिस्से के कारण कोई दुर्घटना होती है, तो किसी व्यक्ति/संपत्ति को चोट लगने पर हुए नुकसान की भरपाई करना

एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। आईआईएसईआर, किसी भी मामले में, नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। OEM/अधिकृत एजेंसी इसके लिए IISER पुणे को क्षतिपूर्ति देगी।

१०. उपकरणों की जांच और मरम्मत के दौरान सभी सरकारी नियमों का पालन किया जाना चाहिए।

११. एजेंसी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि लिफ्ट ठीक से चल रही हों, पंखे काम कर रहे हों और लिफ्ट कम से कम उन जगहों पर साफ हों जहां सामान्य रूप से पहुंचना मुश्किल हो। यह प्राथमिकता दी जाती है कि एजेंसी बैटरी प्रतिस्थापन, लिफ्ट लाइट, पंखों की मरम्मत/प्रतिस्थापन की जिम्मेदारी ले। एजेंसी द्वारा उचित सेवा रिपोर्ट/लॉग बुक का रखरखाव किया जाना चाहिए। लिफ्ट से संबंधित कार्य को पूरा करने के लिए एजेंसी द्वारा केवल योग्य, कुशल और अनुभवी तकनीशियनों को तैनात किया जाना चाहिए।

अधीक्षण अभियंता, आईआईएसईआर पुणे

1. Repair and breakdown service: Repair coverage

All parts and components fitted by OEM will be original parts or components. If original parts or components are not available, the parts or components fitted will be of equal quality and functionality. Agency liability to IISER Pune for any defects in design, materials or workmanship relating to parts and components shall be limited to the replacement of spare parts or components as defined by this article. Agency repairs or replaces following parts which have become unusable through wear in order to ensure the safety in accordance with the legal regulations for elevators. VF drive unit, Atomic rescue device, car and landing door shoe liners, contacts, switches, door operator motor, drive belts, coupler unit, door safety sensors, emergency alarm unit, door drive unit, car and landing call registration buttons and all electronic PCBs agency periodically examines, lubricates, adjusts and as needed repairs or replaces the covered components listed above. Also faulty emergency lamps in the car will be replaced during regular inspection and preventive maintenance of the elevator installations. At regular intervals agency changes the oil in the drive unit(s) of the elevator installation(s) according to the manufacturer's instructions and properly disposes of the old oil. Ownership of replaced component: AMC price offered is considering return of defective material back to agency.

Refinishing, repair or replacement of following components are outside the scope of this contract:

- I. Elevator car enclosure
- II. Elevator car and landing door panels/gates

- III. Fan & Light Fixtures
- IV. Incoming Electrical wiring up to main switches in the m/c room
- V. Main switches in the m/c room
- VI. Decorative items including mirror and hand rail

2. PROVISION OF SERVICES BY AGENCY

Agency shall perform the Maintenance Services as agreed to in the Contract and in these General Terms and Conditions. In performing the said services, agency shall take all reasonable steps to maintain the Equipment in proper operating condition. Agency shall use trained and appropriately supervised personnel to perform the Maintenance Services. The Maintenance Services shall be conducted during the Normal Working Hours. Agency during its normal working hours, shall send at regular intervals and as frequently as the Company thinks necessary, having regard to the age, nature and condition of the elevator, a technician to systematically inspect, adjust and lubricate the parts of the elevator to the extent necessary to maintain the elevator in satisfactory working order. Upon notification by the customer of a breakdown or failure, agency shall send, as soon as may reasonably be possible and technician to carry out necessary repairs in order to restore the equipment's to satisfactory working condition. Agency will carry out according to its standards customary annual safety test to examine all safety devices. Agency will not be required to make any other tests. Agency will either be required to install new attachments nor to make replacements with parts of a different design to the elevator whether or not recommended or directed by Insurance Companies, or by Governmental or Non-Governmental authorities. The agency reserves the right to keep the control cubicle locked.

The Equipment under contract will remain out of commissioning while the maintenance process is being carried out. No one will be allowed to use Equipment during this period.

3. PROVISIONS BY THE IISER PUNE

The IISER Pune shall promptly inform agency of any unsatisfactory operation or performance of the Equipment, any accidents or incidents involving the Equipment or any change in the use of the Equipment. The IISER Pune shall be responsible for all wiring in the building structure and power supply necessary for the functioning of the equipment. The IISER Pune shall comply with all applicable Legislative Requirements, including

occupational safety and health regulations. The IISER Pune shall keep sills, machine room and pit clean. The IISER Pune shall instruct all person using the elevator to use it all times in accordance with the Agency's reasonable instructions. The IISER Pune shall ensure to prevent misuse or vandalism of the elevator.

The IISER Pune shall ensure that two trained persons in the building will be available for emergency rescue of trapped passengers. The IISER Pune shall nominate two persons by name and designation for intimating breakdowns if any, to agency with clear understanding that instructions of only such persons will be attended by agency.

The IISER Pune shall keep the machine room under lock and key. The IISER Pune shall not to allow any other person, either his own or a third party to meddle with, repair or rectify any of the elevator components during the subsistence of this contract with the explicit understanding that any breach of this clause will relieve agency of all further obligations under this contract.

4. AGENCY PARTS AND COMPONENTS

All parts and components fitted by the OEM will be original Parts or components. If original parts or components are not available, the parts or components fitted will be of equal quality and functionally and approval of OEM is required. It is hereby specifically agreed that The OEM would not in any way be liable to replace or repair free of charge, under this contract any damage caused to all part of the elevator as a consequence of a faulty electrical system, power fluctuations, third party interventions, fire, water seepage flooding etc. In such an event all repairs and replacements as may be necessitated would be carried out at the cost and expense of the customer. It is recommended that the customer should take adequate protection from Insurance or similar companies to safe guard the equipment for damages that would occur due to such causes. In such an event the cost of repair or replacement should be reimbursed to OEM without any condition or limitations. Where materials, components parts or assemblies are no longer available due to obsolescence or if they have permanently taken out of production by the original supplier, then the supply and use of alternative replacement materials, components parts or assemblies (as the case may be) will beat the cost of the Customer. In the event the OEM consider themselves unable to supply any materials or parts for the purpose of this agreement, then this agreement shall forthwith terminate without prejudice to the Agency's accrued rights and without any liability to the Agency for such termination.

5. LIMITATION OF LIABILITY

Notwithstanding any other provision or indemnities in this contract, in no event shall the Agency be liable to the other party for any loss of profit, use, contracts, business, customers, good will, contractual liabilities of others or for any indirect or consequential loss or damage, which may be suffered by the other party in connection with the Contract. The Agency's maximum aggregate liability under or in relation with this contract shall in no event exceed an amount equal to one year's Contract value per equipment.

6. TERMINATION OF CONTRACT

The Contract shall remain in force for the Contract Duration Period, unless cancelled in writing by either party, by issuing 30 days' notice prior to the desired date of termination. Either Party may terminate the Contract, without satisfying the above time requirements, by giving a written notice to the other Party. In the event of that the other party goes into liquidation either compulsorily or voluntarily, or a receiver, administrator or administrative receiver is appointed in respect of the whole or any part of its assets, or if the other Party commits a materials breach of the Contract and the said breach has not been remedied within thirty (30) days after receipt of written notice setting forth particulars describing the alleged breach. Further, IISER Pune has right to terminate the Contract in the event the main purpose of use of the Equipment has materially changed by a third party without the prior written approval by IISER Pune during the contract duration period or the ownership of the building where the Equipment is located is changed.

7. Payment Terms:

1. Advance payment is not preferable, so the agencies should avoid it. Payment will be made quarterly/monthly after satisfactory completion of work.
2. Taxes, if any, will be deducted from bill / Tax invoice at the prevailing rates.
3. This is a comprehensive Annual Maintenance Contract which includes all minor and major parts, consumables etc.
4. Bidder shall inspect the system before quoting. A bidder shall deem to have full Knowledge of installation whether he inspects it or not.
5. The Institute reserves the right to accept or reject any or all the tenders in part or in full or may change the tender conditions at any stage, even during contract period, without Assigning any reasons or to distribute the whole work between two or more contractors.
6. No additional amount will be paid to the contractor what has been specified in the terms and conditions of this contract.

7. The repair work is to be carried out within the premises of the Institute. In the event of Major repairs, if any of the machines required to be taken outside Institute premises, the same will be allowed to be taken outside only with the written permission of the Institute like Gate pass. No separate charges on account of labor and transportation would be paid by the Institute for the purpose.
8. Taxes will be deducted at the source as per rules.
9. The Tenderers are requested to go through the instructions, terms and conditions given in the tender document and the general terms and conditions attached herewith.
10. Only OEMs or their authorized service dealers/distributors with valid TIN & PAN nos. are eligible to participate in the tender bid.
11. Conditional tenders are liable to be summarily rejected.
12. The contractor shall be responsible for behavior and conduct of its workers. Worker with doubtful integrity or having a bad record shall not be engaged by the contractor. In this regard, it is also to be stated that the antecedents of the mechanics/ laborers to be Deployed by the firm for execution of AMC work, may be got verified from the local police.
13. The Institute will be at the liberty to ask for source and proof of procurement of, materials used to repair/ replacement of the machines. All the substandard material if brought by contractor shall be rejected and shall have to be removed by him at his cost from the site immediately and this office will not be responsible for the safe custody of the same.

8. Work Guidelines

1. The CMC work to be carried out in the presence of IISER Pune representative
2. The work should be executed to the entire satisfaction of the Engineer-in Charge.
3. The agency will comply with all statutory requirements in respect of the work.
4. The agency will be responsible for the safety of personnel deployed by them for the work at the site. In case of any accident/incident which may involve any injury or loss of life to the personnel deployed by the agency, IISER in no way shall be responsible for such happenings and will not be liable for any type of compensation to any party. Safety of personnel deputed will be whole sole responsibility of the concerned agency.

5. All breakdowns calls shall be attended free of cost.
6. The agency will provide minimum twelve (12) free services in a year.
7. The agency shall attend unlimited breakdown calls in between routine service Calls immediately on receipt of breakdown calls free of cost.
8. The agency will have to attend any breakdown call within Four hours of intimation during working hours and by the beginning of the next day if intimated after office Working hours, otherwise penalty @ Rs. 1000/- per day of down time will be Levied. The same applies in case of a major fault or overhauling, if it is not rectified and not made working within five days. The agency will have to ensure that all necessary spare or replacement parts arrive on time to the site to make the system working in time. Maximum penalty is limited to 10% of the contract value. Engineering In charge shall have all right to apply this clause considering all internal and external factors.
9. While handing over the passenger lift at the end of the contract these should be in perfect working condition. Any defects found have to be rectified by the agency or else the net cost of the repairs will be charged on the agency's account. During the contract, if any mishap occurs due to faulty repairs or any of its part, it will be the responsibility of the agency to compensate the loss on account of injury to any person/property. IISER, on any account, shall not be responsible for the loss. OEM/Authorized agency to indemnify IISER Pune for the same.
10. All Government regulations must be followed during examination and repairs of equipment's.
11. The agency will also have to ensure that the lifts are properly lit, fans are working and the lifts are clean at least those place which are hard to reach normally. It is preferred that the agency takes responsibility for Battery replacement, Lift lights, fans repair/replacement. Proper service reports/log books have to be maintained by the agency Only qualified, skilled and experienced technicians have to be deployed by the agency to carry out the lifts related work.


Superintending Engineer, IISER Pune

Schedule of Quantity						
Name Of work : Annual Comprehensive maintenance contract for Passenger lift 2 nos(make- Johnson Lifts Private Limited) at Guest house,IISER Pune,Year 2023-24						
S.N.	Description of Items	Quantity	Unit	AMC Rate (in Rupees)(In Word & Figure) Per Month	Amount (Total per Year)	
A	B	C	D	E	(F=CxE)	
1	Annual Comprehensive maintenance contract(ACMC) Johnson Lift at Guest House Lift ID-L-D2373	12	Month			
2	Annual Comprehensive maintenance contract(ACMC) Johnson Lift at Guest House Lift ID-L-D2374	12	Month			
Total Amount in Words:				Total Amount	Rs	

Please note that quoted rates are inclusive of all taxes,labour ,transports etc.Nothing Extra Shall be Paid separately


 Superintending Engineer
 IIISER Pune